

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-162

दिनांक: 15/5/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक... 16.4... दिनांक... 23.4.2002 का
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 16.4.
दिनांक 23.4.2002 प्रातः/सायं..... बजे जयपुर विकास आयुक्त
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16वाँ...बैठक दिनांक.23-4-2002

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : महावरी स्वामी गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : देव विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : 509, 527 गांव विजयपुरा
4. सैक्टर नंबर :

जानल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. समिति से योजना मानचित्र संशोधित करवाया जावे जिसमें सुविधा क्षेत्र योजना के मध्य में ही प्रस्तावित करवाया जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16वीं... बैठक दिनांक..23-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : श्याम पुरी गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : विनायक नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : 164 गांव जामडोली
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु, पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. उपायुक्त जोन द्वारा अवगत करवाया गया है कि समिति की योजना में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है जिसके बारे में यह सुनिश्चित किया जावे कि जयपुर विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि सुविधा क्षेत्र से लगती हुई उपलब्ध है एवं किस प्रयोजनार्थ रखी गयी है।
2. समिति से योजना को संशोधित करवाया जावे क्योंकि योजना के पूर्वी हिस्से से आई.ओ.सी. की लाईन गुजरती है जिसके मध्य से 30-30 फिट दोनों तरफ का क्षेत्र सुरक्षित रखा जाना होगा जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की को अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाले भूखण्डों को अन्यत्र प्रस्तावित करते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 16 वीं बैठक दिनांक 23-4-02

विषय:- हरी नगर गृहिनोसोसो को योजना के भूखण्ड 60 से 65 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
2. समिति का नाम
3. योजना का नाम
4. ग्राम का नाम व खसरा नं०
5. सेक्टर नंबर

जोनाल लेबल(जोन संख्या.....३.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 60 से 62 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने तथा भू.सं. 63 से 65 सुविधा क्षेत्र में ही रहे जाने का निर्णय लिया गया ।

uj

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 16 वीं बैठक दिनांक 23-4-02...
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- छत्रपति शिवाजी गु0नि0स0स0 को योजना गणेश कॉलोनी के भू-सं. 91 से
94 को सविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....13:2:.) कमेटी की बैठक
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के
परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया
गया:-

उपायुक्त जोन ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया। विचार-
विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिखा गया।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16...वीं...बैठक दिनांक...23-4-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भूखण्ड संख्या 20 व 21 गोपालपुरा "सी" को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...13-5....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । विचार-विमर्श के दौरान भूखण्डधारियों को भी सुना गया । भूखण्डधारियों ने बताया कि उन्होंने इन भूखण्डों का रूपान्तरण शुल्क को राशि क्रमशः दिनांक 26.5.82 व 25.3.82 को जमा करवा दो गई थी । तथा मौके पर भूखण्डों का निर्माण करने के दौरान प्राधिकरण उनके सामान उठाकर ले गयो तथा निर्माण नहीं करने की हिदायतें दो गयो । इसके भूखण्डों पर निर्माण नहीं किया गया । समिति ने भूखण्डधारियों को सुनने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 20 व 21 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।



सीपीसी(ले-आउट प्लान)की 16 वीं... बैठक दिनांक 23-4-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- पद्मावती कॉलोनी द्वितीय के सुविधा क्षेत्र से पार्क में परिवर्तन करने तथा प्लॉट नं० 74 से 76 के सामने दुकानों के क्षेत्र को पार्क से मुक्त

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी करने के सम्बन्ध में ।
2. समिति का नाम :
3. योजना का नाम :
4. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
5. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा भिजवाया गया एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श के दौरान वरिष्ठ नगर नियोजक भूखण्ड नचर समिति ने समिति को बताया कि पूर्व की बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा में भूखण्ड संख्या 60 से 72 के सामने के सुविधा क्षेत्र को पार्क में उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में था । किन्तु कार्यवाही विवरण में भूखण्ड संख्या 60 से 76 के सामने के पार्क के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लेख हो गया । विचार-विमर्श परचातु समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र में जो क्षेत्र व्यावसायिक उपयोग हेतु था उसे वाणिज्यिक उपयोग हेतु किया जावे । तथा शेष पैसिलिटो क्षेत्र को पूर्वा-न्सार पार्क उपयोग हेतु ही रखा जावे ।



वापीसी(ले-आउट प्लान)की 16 वीं बैठक दिनांक 23-4-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री मति शकुन्तला देवी, श्री दीप प्रकाश, श्री मति बोनू देवी, श्री विनोद अग्रवाल, श्री मति शालू देवी के व्यावसायिक

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी उप विभाजन के सम्बन्ध में ।
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या सी-2) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

भवन मानचित्र समिति को पूर्व बैठक के निर्णयानुसार समिति के सदस्यों ने मौका निरोक्षण किया मौके पर दुकानों निर्मित थी । मिटिंग निर्णय को अनुपालना में मौके का स्थल निरोक्षण के पश्चात् प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया । बैठक में भूखण्डधारियों के प्रतिनिधियों भी उपस्थित हुए जिनको सुना गया उन्होंने समिति के सदस्यों को बताया कि इन दुकानों के पीछे को स.नं. 785*1, 785; 786 की भूमि भी उन्हो को है इसलिए पार्किंग की व्यवस्था इस भूमि में करवा देगा तथा प्लेन्थ लेवल तक जाने की सोढ़ी व प्रोजेक्शन हटा देगा ।

विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के उप विभाजन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

- 1- दुकानों के पीछे खसरा नम्बर 785/1, 785, 786 को भूमि खाली है । तथा यह भूमि उन्हों को है इसलिए इस क्षेत्र को निर्धारित मापदण्ड पार्किंग हेतु दर्शाया जाए व पार्किंग के अवागमन हेतु रास्ता, निर्धारित मापदण्ड में छोड़ा-जाए ।
- 2- दुकानों के सामने सिढ़िया व प्रोजेक्शन जो सड़क को आर.ओ.डब्ल्यू में आ रहे है उन्हें प्रांशों स्वर्य हटा लेगा ।

सीपीसी(ले-आउट प्लान)की... 16वीं... बैठक दिनांक 23-4-02

का कार्यवाही दिनांक
विषय:- निजी खातेदार श्री गोविन्द, कालू, लाला, तोपान, बि रथी, मृत्या, छी तर
ना रायण मृत्या राम की नानाराम मोणा की योजना द्वाखापुरी के
खातेदार/गृह निर्माण सहकारी अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

1. समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.... 4.2....) कमेटी की बैठक
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के
परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया
गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया
गया । खातेदार द्वारा संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत किए जिनमें दुकानों
के सामने 10'-0" चौड़ी पार्किंग दर्शायी है । विचार-विमर्श पश्चात् योजना
को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित पाया गया । चूंकि मौके पर योजना खाली है ।
इसलिए योजना को स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाये
जाने का निर्णय लिया गया ।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16. वीं बैठक दिनांक 23-4-02....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- केशव नगर योजना के भूखण्ड संख्या 62 ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....A.1.1....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

बीपीसी के निर्णय दिनांक 19-4-02 के अन्वय में समिति के सदस्यों ने उपरोक्त भूखण्ड का निरोक्षण उपायुक्त जोन के साथ किया। निरोक्षण के पश्चात् प्रकरण को भवन मानी चक्र समिति को बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति ने माना कि मौके पर भूखण्ड खाली है। इसलिए इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जावे। तथा इस भूखण्ड को निलामी में बेचा जावे।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16.वीं... बैठक दिनांक... 23-4-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- हिम्मत नगर योजना में 160-0" चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल कम कर

1. खातेदार/नियमन ^{निर्माण} सहकारी संशोधन के सम्बन्ध में ।
2. समिति का नाम :
3. योजना का नाम :
4. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
5. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...4...|....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक **प्रोजेक्ट** ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया तथा समिति के सदस्यों को बताया कि उपरोक्त विषय में बीपीसी की बैठक दिनांक 5-3-02 में निर्णय ले लिया गया था । किन्तु उपायुक्त जोन ने कार्यवाही विवरण में कुछ संशोधन वाहा है । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया ।

"पूर्व में बीपीसी {ले-आउट प्लान} की बैठक दिनांक 5-3-02 में माधव गृ0न0स0स0 को योजना हिम्मत नगर को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था । जिसमें योजना के अन्दर 160-0" चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल शामिल किया गया था । प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 160-0" चौड़ी सड़क को भूमि पो.डब्ल्यू.डो. द्वारा अवाप्त को गयो थो । तथा खातेदार ने इस भूमि का मुआवजा भी ले लिया है । इसलिए इस बिन्दु पर समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात् 160-0" चौड़ी सड़क को भूमि योजना के क्षेत्रफल में से कम करते हुए पुनः नियमन राशि को गणना जोन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया"।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16 वीं बैठक दिनांक... 23-4-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्री रामपुरा गृ0नि0स0स0 की योजना नं० 1 के रेल्वे लाइन के समाना-

- न्तर 100-0" चौड़ी सड़क व भू.सं० 25 से 30 व भू.सं० 36 के मध्य स्वीकृत 60-0" चौड़ी सड़क को 30-0" चौड़ी किए जाने के सम्बन्ध में।
1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम
 2. योजना का नाम
 3. ग्राम का नाम व खसरा नं०
 4. सेक्टर नंबर

जोनल लेबल(जोन संख्या...A:1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

स्वीकृत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 25 से 30 व भू.सं० 36 के मध्य को सड़क 60-0" चौड़ी स्वीकृत है मौके पर यह सड़क 40-0" चौड़ी हो उपलब्ध है। विचार-विमर्श पश्चात् इस सड़क को चौड़ाई 40-0" हो रखे जाने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत योजना में रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 50' रेल्वे सीमा व रेल्वे सीमा से 100-0" चौड़ी सड़क स्वीकृत है। समिति के सदस्यों ने मौके का निरीक्षण किया। मौके पर कुछ क्षेत्र में रेल्वे की सीमा कम है तथा कुछ क्षेत्र में रेल्वे की सीमा अधिक है। जिस क्षेत्र में रेल्वे की सीमा कम है उस क्षेत्र में रेल्वे की सीमा के बाद ही अधिकतर पक्के निर्माण है। जिन्हें तोड़ा जाना सम्भव नहीं है समिति के सदस्यों ने माना कि इस योजना में रेल्वे की सीमा 50' के बाद सड़क निकालना सम्भव नहीं है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि जहाँ रेल्वे की सीमा कम है वहाँ रेल्वे की सीमा 50' के बाद 100-0" चौड़ी सड़क को निरस्त किया जावे तथा जहाँ रेल्वे की सीमा अधिक है वहाँ उपलब्ध रेल्वे सीमा ही रखी जावे।

सीपीसी(ले-आउट प्लान)की...16 वीं...बैठक दिनांक: 23-4-02.....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्रीमति चन्द्रकान्ता पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री संजय सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह भू.सं. 2 दुर्गा वाटिका के वाणिज्यिक प्रयोजना के नियमित

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी करने के सम्बन्ध में।

समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :

4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Proceedings of 16TH BPC(Layout Plan) Meeting held on 23-04-2002 under the Chairmanship of JDC.

Meeting for Change of land use cases

- (1) **Regarding Change of Land Use of 2328.7 sq. mtr. land out of 3370.51 sq. mtr. of Nazool land P-5, Park House near All India Radio office on M.I. Road, Jaipur from Residential to Commercial (Retail Commercial and General Business).**

The agenda was discussed and the Change of Land Use of 2328.7 sq. mtr. land out of 3370.51 sq. mtr. of land, after leaving total 10401.81 sq. mtr. (land for existing temple 352 sq. mtr. and 689.81 sq. mtr. for widening of existing 40 feet road, opp. Gangaur Hotel) land from Residential to Commercial (Retail Commercial and General Business) was approved and referred to EC for confirmation.



कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के श्री जी कालोनी के बीच से गुजर रही 132 के.वी. एच.टी. लाईन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया :-

श्री जी कालोनी का अनुमोदन बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक में हुआ था जिसमें प्रश्नगत रोड को 80' चौड़ा अनुमोदित किया गया था। पूर्व में उक्त एच.टी.लाईन के केन्द्र बिन्दु से दोनों ओर 25' सुरक्षित क्षेत्र रखते हुए कार्तिक नगर व राजवेनी नगर योजना को अनुमोदित किया गया था।

वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उक्त एच.टी.लाईन के दोनों ओर 25' की सुरक्षित दूरी रखते हुए कार्यवाही की जावे अर्थात् साथ ही श्री जी कालोनी में 80' के स्थान पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-4 के श्री गोविन्द गृ.नि.स.स. की योजना हजरत अली नगर के अनुमोदन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया :-

श्री गोविन्द गृ.नि.स.स. की योजना हजरत अली नगर योजना को पूर्व में बीपीसी (ले आउट प्लान) की 15 वीं बैठक दिनांक 19.4.2002 में विचारार्थ रखा गया था। वाद विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना का संशोधित मानचित्र 60:40 के अनुपात में समिति से लिया जावे। जोन द्वारा दिनांक 19.4.2002 को पत्र जारी कर दिया गया और समिति के कार्यालय में जोन के तहसीलदार को भेजा गया परन्तु समिति का कार्यालय बन्द मिला और समिति द्वारा दिनांक 22.4.2002 तक कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः प्रकरण को बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 23.4.2002 को विचार विमर्श हेतु रखा गया जिसमें उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा एवं मौके की स्थिति के आधार पर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित शर्तों/संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. मुख्य आमेर रोड की चौड़ाई 160' रखी जावे। अतः मध्य रेखा से 80' रखते हुए भूखण्ड संख्या 1 का शेष भाग अनुमोदित किया जावे।
2. योजना के सभी भूखण्डों का आवासीय के रूप में अनुमोदन किया गया अतः सभी भूखण्डों का नियमन आवासीय के रूप में ही किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 81 से 97, 99 एवं 100 के पश्चिम, 44, 45, 71, 89, 178 के उत्तर, भूखण्ड संख्या 184, 177, 178, 168, 167 के पूर्व, भूखण्ड संख्या 182, 184 के उत्तर, भूखण्ड संख्या 191 से 195 के उत्तर, भूखण्ड संख्या 16, 17 के पूर्व, भूखण्ड संख्या 1 से 10 के दक्षिण, 14-17 के दक्षिण में स्थित रोड की चौड़ाई न्यूनतम 30' की जावे।
4. भूखण्ड संख्या 236, 237 के दक्षिण में स्थित रोड की चौड़ाई को न्यूनतम 20' किया जावे।
5. योजना की शेष सभी सडकों की न्यूनतम चौड़ाई को 25' रखा जावे।
6. भूखण्ड संख्या 36 से 57 के पश्चिम में 30' सडक हेतु इन भूखण्डों की गहराई से 15' काटकर नियमन किया जावे शेष 15' नाले को भरने के पश्चात् उपलब्ध होगा।

जोन ने भूखण्ड संख्या 36 से 52, 54, 55, 60, 61, 98, 103, 145, 96, 97, 101, 150, 142, 143, 198, 199 कुल 31 भूखण्ड लो लाईन एरिया से प्रभावित बताकर अस्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया था परन्तु नाले को भरने के पश्चात एवं प्रस्तावित सडक के बाद मौके की स्थिति के अनुसार उक्त भूखण्ड लो लाईन क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं।

7. भूखण्ड संख्या 52 को अस्वीकृत करते हुए भूखण्ड संख्या 64, 65, 50, 51 के उत्तर में 30' एवं भूखण्ड संख्या 54, 55, 60, 61 के दक्षिण में 30' चौड़ी सडक की जावें इस हेतु सडक क्षेत्र के पश्चात भूखण्डों के शेष भाग को अनुमोदित किया जावें।
8. भूखण्ड संख्या 58, 59, 60, 61 के पूर्व में 30' चौड़ी सडक अनुमोदित की गयी। इस हेतु भूखण्ड संख्या 58, 59, 60, 61 एवं 98, 99, 100 में से सडक विस्तार हेतु मौके की स्थिति अनुसार समान अनुपात में भूखण्ड की गहराई से भाग काटा जावें एवं शेष बचे भाग को अनुमोदित किया जावें।
9. भूखण्ड संख्या 100, 101, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237 का आंशिक भाग एवं भूखण्ड संख्या 146, 147, 198, 199, 202, 206, 207, 208-213, 211 ए, 304, 305-309 खसरा सीमा से बाहर हैं अतः जिन भूखण्डों का आंशिक भाग खसरा सीमा से बाहर है वह भाग तथा वे भूखण्ड जो खसरा सीमा से पूर्णतः बाहर हैं, को अस्वीकृत किया गया अतः इनका नियमन नहीं किया जावें।
10. उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा में क्रमांक 8 जिसके संबंध में निर्णय लिया गया है कि यह भूमि पूर्ववतः निजी खातेदारी में है अतः योजना के स्वामित्व में होने के कारण इनका नियमन किया जाने का निर्णय लिया गया।
11. भूखण्ड संख्या 36 से 57 के पश्चिम में प्रस्तावित 30' सडक, Trained नाला का निर्माण के पश्चात reclaimed किया जाने वाली भूमि एवं मुख्य आमेर रोड के राईट आफ वे के पश्चात बची हुई भूमि को Road Side Facility हेतु आरक्षित किया जावें।
12. भूखण्ड संख्या 169 के दक्षिण में उपलब्ध क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा जावें।
13. नाले को पक्का करने के पश्चात उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा जावें।
14. निजी वास्तुकारों द्वारा सर्वेक्षण करने पर यह तथ्य उभर कर आया है कि कई भूखण्डों में दो से अधिक भूखण्डों में संयुक्त बाउन्डीवाल निर्मित है परन्तु समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में सभी भूखण्ड एकक ईकाई के रूप में दर्शित हैं। अतः भूखण्डों का नियमन एकक भूखण्ड के रूप में सोसायटी द्वारा दिये गये पट्टे एवं मौके की स्थिति के अनुसार दिये जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना खण्डेलवाल नगर के अनुमोदन के संबंध में।
2. जय अम्बे गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना खण्डेलवाल नगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर

विचार विमर्श किया जाकर योजना का अधिकांश भाग हाईवे कंट्रोल बैल्ट में आने के कारण योजना को अस्वीकृत किया जावे।

2. जय अम्बे गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार के अनुमोदन के संबंध में।- जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि योजना 60:40 में नहीं होने के कारण भूखण्डों में औद्योगिक गतिविधियां होने के कारण एवं योजना में 80' की सड़कों पर दुकानें नियमन योग्य नहीं हाने के कारण योजना को अस्वीकृत किया गया।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना भगवती नगर के खसरा नम्बर 36,38,39 निवारू के एजेन्डा पर निम्न निर्णय लिया गया :-

बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना भगवती नगर के खसरा नम्बर 36, 38, 39 निवारू के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया व इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि -

योजना में 60:40 के अनुपात में आवासीय एवं सड़क सुविधा क्षेत्र हेतु समुचित क्षेत्रफल रखते हुए एवं जो सुविधा क्षेत्र निर्धारण करेंगे उस से प्रभावित भूखण्डधारीयों की भूमि को समायोजित करते हुए समिति से संशोधित मानचित्र मांगा जावे।

जोन डी-1, जोन डी-2 की इंदिरा गृ.नि.स.स. की श्रवण विहार व बाबा आर. एन.गौड गृ.नि.स.स. की फ्रेन्ड्स कालोनी के संबंध में अनौपचारिक विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि नहीं दर्शायी गयी है अतः इन योजनाओं में 60:40 के अनुपात में आवासीय व सड़क सुविधा हेतु रखी जाकर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जावें।

इसके अलावा अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन डी-1, जोन डी-2 की योजनाओं जंहा कम Built Up हैं उनमें 60:40 के अनुपात को सुनिश्चित करें एवं सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि निश्चित रूप से दर्शायी जावे तत्पश्चात ही योजना बीपीसी द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत की जावें।


वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)